राज एक्सप्रेस
(11.06.2018)

मानव अधिकार के नाम पर ली सायरन की अनुमति

कोचिंग संचालक ने आरटीओ को भी किया गुमराह

इंदौर ■ राज न्यूज नेटवर्क

कोचिंग संचालक को मानव अधिकार आयोग के नाम से ब्लैक मेल करने वाले आरोपी ने परिवहन विभाग को भी धोखा दिया है। मंगलवार को एक विजयनगर पुलिस ने एक कोचिंग संचालक की शिकायत पर शरद मोदी और अन्य साथियों के खिलाफ कार्यवाही की थी। मोदी ने अन्य साथियों के साथ कोचिंग संचालक से 20 हजार रुपए लिए थे और 80 हजार की मांग की थी। इंदौर आरटीओ को मानव अधिकार एसोसिशन का लेटेर पेड पर लिख कर सायरन लगाने की अनुमति भी प्राप्त कर ली थी। ऐसी अनुमति 6 वाहनों के लिए ली गई थी। इस मामले में आरटीओ कार्यालय के अधिकारियों ने भी बिना जांचे और गजट नोटिफिकेशन का अध्ययन किए अनुमति प्रदान कर दी। जबकि आवेदन पत्र में स्पष्ट मानव अधिकार एसोसिएशन लिखा हुआ था। मंगलवार को विजय नगर पुलिस ने एक कोचिंग संचालक की शिकायत पर शरद मोदी और उसके साथियों के खिलाफ कार्यवाही की थी। इसमें कोचिंग संचालक द्वारा रुपए वसूलने और कार्यालय में घुस कर दस्तावेज उठा ले जाने का बात कही थी। आरोपीयों ने भी स्वंय को मानव अधिकार आयोग का उपाध्यक्ष बताया था। घटना के समय ये लोग सायरन लगी गाड़ीयों में पहुचे थे। उन वाहनों पर सायरन लगाने की इंदौर आरटीओ द्वारा जारी अनुमति भी लगी थी।

इस मामले में केसर बाग आरटीओ में जानकारी लेने पर नई जानकारी सामने आई। आरोपी शरद मोदी और उसके 5 अन्य साथियों ने वाहनों पर सायरन लगाने की अनुमति प्राप्त की है। इन सभी 6 वाहनो के लिए एक जैसा आवेदन श्री एसएस शिक्षा एंड मानव कल्याण सेवा समिती, राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन के लेटर हेड का उपयोग किया है। जिसमें एक पता दिल्ली के करोल बाग और दूसरा इंदौर के भंवरकुआ का है। मुख्य आरोपी शरद मोदी ने अपनी गाड़ी एमपी09 सीएच 0469 के लिए सायरन लगाने की अनुमति मांगी थी।

एक समिती के लेटर हेड पर सायरन लगाने की अनुमति देने के मामले में इंदौर आरटीओ के अधिकारियों पर भी प्रश्न उठ रहे है। बिना गजट नोटिफिकेशन में देखे अपात्र आवेदक को वाहन पर सायरन लगाने की अनुमति दी गई। जबकि लाल पीली और नीली बत्ती के साथ ही सायरन- हुटर लगाने के संबध में शासन ने नोटिफिकेश जारी कर रखे है। इस मामले में एक जैसे आवेदन पर सभी 6 लोगो को सायरन लगाने की अनुमति दी गई। इनके नाम राजेश सबनानी, निलेश वविस्कर, शरद मोदी, शैलेंद्र सिंह चंद्रावत, परमिंदर सिंह और फरदीन खान है।

इनका कहना है ....

आवेदको द्वारा मानव अधिकार आयोग से समबद्धतता बताए जाने पर अनुमति प्रदान की गई थी। अनुमति का गलत उपयोग करने की पुलिस द्वारा कार्यवाही करने की जानकारी मिलने पर अनुमति निरस्त कर दी गई है।

डॉ. एमपी सिंह, आरटीओ इंदौर.